सेवा में,

Jh ,-d- ljdkj

प्रधान सचिव

वन एवं पर्यावरण विभाग

एवं खनन एवं भूतत्व विभाग

झारखंड सरकार

राँची।

विषय : 'दक्षिणी अंचल, चाईबासा के अंतर्गत सारण्डा कोल्हान एवं पोड़ाहाट वन प्रमंडल के अक्षुण्ण (virgin)/ आरक्षित वन क्षेत्रों को inviolate घोषित करने के संबंध में।

प्रसंग :

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र संख्या–19 एम–1(5) 19 / 2003–642, दिनांक 14.02.2006 और उनका स्मार पत्र संख्या–19 एम–1(5)18 / 2003–3479, दिनांक 17.07.2009
2. जनसूचना पदाधिकारी सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा द्वारा मुझे प्रेषित पत्रांक–1133, दिनांक 11.02.2012
3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रबंधन, चाईबासा द्वारा मुझे प्रेषित पत्रांक–104, दिनांक 20.01.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के बारे में अभी तक राज्य सरकार द्वारा गजट अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई है, जबकि इस बारे में संबंधित संचिका में तत्कालीन वन मंत्री का अनुमोदन मई, 2006 में ही प्राप्त हो गया था और अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर संचिका में रख दिया गया था। संबंधित संचिका के पृष्ठ 11 पर इस संदर्भ में की गई टिप्पणी का हू–ब–हू अंश निम्नांकित है :–

सचिव

''पूर्व पृष्ठ पर मा. मंत्री का अनुमोदन नीतिगत विषय है, अतः अधिसूचना पर माननीय मुख्यमंत्री की सहमति आवश्यक है। अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर संचिका में रख दिया गया है।''

ह. / –(अस्पष्ट)

तदुपरांत नीतिगत विषय होने के कारण संचिका आदेश हेतु मा. मुख्यमंत्री के पास भेज दी गई। इस क्रम में संचिका पर उद्योग विभाग का मंतव्य प्राप्त किया गया और संचिका खान विभाग का मंतव्य प्राप्त करने के लिए पृष्ठांकित कर दी गई। आज तक खान विभाग का स्पष्ट मंतव्य इस पर प्राप्त नहीं हुआ है। संचिका खान विभाग एवं वन एवं पर्यावरण विभाग के बीच कहीं लम्बित है। इस बीच जिन इलाकों को अभग्न क्षेत्र घोषित करने हेतु संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने प्रस्ताव दिया था और जिस पर माननीय मंत्री का मंतव्य प्राप्त कर अधिसूचना का प्रारूप संचिका में रख दिया गया था, उनमें से कई क्षेत्रों पर खनन पट्टा निर्गत करने की अनुशंसा राज्य सरकार द्वारा कर दी गई है। ऐसा लगता है कि अभग्न क्षेत्रों की अधिसूचना निर्गत करने की संचिका विगत 5 वर्षों से लम्बित रखे जाने का अभिप्राय भी यही है।

इस संबंध में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सारण्डा वन प्रमंडल क्षेत्र एवं पोड़ाहाट वन प्रमंडल क्षेत्र द्वारा मुझे उपलब्ध करायी गई सूचना चौंकाने वाली है। उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में अंकित इस आशय के पत्र में मुझे बताया गया है कि सारण्डा वन क्षेत्र में अभग्न घोषित किये जाने वाले किसी क्षेत्र की जानकारी वन प्रमंडल को नहीं है। जबकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा राज्य सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजने के पूर्व सारण्डा,

कोड़ाहाट और दक्षिणी चाईबासा प्रमंडलों द्वारा ही अभग्न क्षेत्रों की सूची तैयार की गई थी और इसे इन इलाकों के वन संरक्षकों ने पत्र संख्या–2204, दिनांक 5 अक्टूबर 2005 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर को भेजा गया था और क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक ने इसे अपने पत्रांक–2275, दिनांक 24.10.2005 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजा था।

इसके पूर्व 28 एवं 29 मार्च, 2005 को सिंहभूम क्षेत्र (विशेषकर सारण्डा वन प्रमंडल) के वनों में अवस्थित खननपट्टों को फेजआउट करने के संबंध में नीतिगत निर्णय हेतु प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार, रांची के कार्यालय कक्ष में एक बैठक हुई थी, जिसमें निदेशक, खान, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम (जो सम्प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं) तथा मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य वन्य प्रतिपालक, झारखंड भी शामिल थे। ऐसी स्थिति में सारण्डा वन प्रमंडल क्षेत्र के सूचनाधिकारी द्वारा अभग्न घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में गलत जानकारी दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

सम्प्रति आप झारखंड सरकार के प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग तथा प्रधान सचिव, खनन एवं भूतत्व विभाग के दोनों पदों पर विराजमान है। इसलिए आप इस विषय में शीघ्र आवश्यक अधिसूचना जारी कराने की पहल करें और दोनों विभागों की नीतियों में समन्वय बैठाकर जनहित एवं राज्यहित का यह कार्य शीघ्र सम्पादित कराने की कृपा करें।

सधन्यवाद,

भवदीय

¼lj;w jk;½